



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63014

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10279 वर्ष 2026

देव कुमार उर्फ वसंत वशिष्ठ उर्फ बसंत शर्माआवेदक

बनाम

यूपी राज्य प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सौरभ सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अशोक कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता, मेवा लाल यादव

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची में पुनरीक्षण किया गया है
2. हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री मेवा लाल यादव, और राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार, की बात सुनी और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 256/2025, धारा 64, 127(2), 316(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन तिलहर, जिला शाहजहाँपुर, में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एफआईआर लगभग पांच महीने विलंबित है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यहां तक कि बी.एन.एस. की धारा 173(4) के तहत आवेदन भी दो महीने की देरी से, यानी 04.03.2025 को दाखिल किया गया था। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप भी आवेदक और सह-आरोपी पर लगाए गए हैं, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा कब्जे में लिए गए उक्त आत्महत्या पत्र में आवेदक को किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 23.12.2025 से जेल में है। वह मुकदमे में सहयोग करने और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का वचन देता है।

5. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध इस आधार पर किया है कि धारा 108 बी.एन.एस. के तहत संज्ञान नहीं लिया गया था और शिकायतकर्ता ने उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है और उक्त याचिका लंबित है, अतः आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

6. **उदे सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2019) 17 एससीसी 301** में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“16. आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामलों में, आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है। इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो सकता है कि आत्महत्या के कारण का प्रश्न, विशेष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के संदर्भ में, एक जटिल प्रश्न बना रहता है, जिसमें मानवीय व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के बहुआयामी और जटिल पहलू शामिल होते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, न्यायालय आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्यों के ठोस और विश्वसनीय प्रमाण की तलाश करेगा। आत्महत्या के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के उत्पीड़न का मात्र आरोप पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि आरोपी द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया गया हो जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए विवश करता हो; और ऐसा अपराधपूर्ण कार्य घटना के समय के निकट होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने में उकसाया है या नहीं, इसका पता केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है।

16.1. यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, यह विचार किया जाएगा कि क्या आरोपी आत्महत्या के कृत्य के लिए उकसाने का दोषी है। जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट और दोहराया है, उकसाने का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, उकसाना, भड़काना या प्रोत्साहित करना। यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अति संवेदनशील थे और आरोपी का कृत्य

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सामान्यतः समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा नहीं रखता है, तो आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन, दूसरी ओर, यदि आरोपी अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न दिखाई दे, तो मामला आईपीसी की धारा 306 के दायरे में आ सकता है। यदि आरोपी पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्म-गौरव को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः यदि आरोपी पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाता है, तो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में आरोपी के आपराधिक इरादे (मैन्स रिया) का प्रश्न आरोपी के वास्तविक कृत्यों और कार्यों के संदर्भ में जांचा जाएगा, और यदि कृत्य और कार्य केवल इसी प्रकार के हैं। जहां आरोपी का इरादा केवल उत्पीड़न या क्रोध का क्षणिक प्रदर्शन था, वहां कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता है। हालांकि, यदि आरोपी मृतक को शब्दों या कार्यों से तब तक चिढ़ाता या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या उकसाया नहीं गया, तो कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है। चूंकि यह मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म विश्लेषण है, इसलिए प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए, साथ ही आरोपी और मृतक के कार्यों और मनोदशा पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधित कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।”

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर में आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया है, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. आवेदक **देव कुमार उर्फ वसंत वशिष्ठ उर्फ बसंत शर्मा** को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, जमानतों के सत्यापन के अधीन, इस शर्त के साथ कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को डराएगा नहीं, और आवश्यकतानुसार निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। यहाँ दिए गए अवलोकन मुकदमे की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

26 मार्च, 2026

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(रविकांत)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।